

(36)  
(238)

**FORM 'A 2'**  
**ACKNOWLEDGEMENT**  
**{See Clause 8(3)}**

Letter No- 15/30 /बायो अनु- 18/18

/Agri., Patna, Dated 19/03/2019

Received from M/s Jaiviki Biofertilizer, Muzaffarpur a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 156 Dated 22-06-18 deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied (as mentioned in table below) for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-  
Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna  
Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 134

**DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS**

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Jaiviki Biofertilizer Style- Wholesale Dealer	Triveni Vihar, Chhapra Megh (Hatt) B.O. Post Office- Mushhari, Muzaffarpur, Bihar, Pin- 843119	Triveni Vihar, Chhapra Megh (Hatt) B.O. Post Office- Mushhari, Muzaffarpur, Bihar, Pin- 843119	1- Azotobacter 2- Rhizobium 3- PSB	Self Manufactured. Do

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

**Mr. Kanhaiya Jee**

M/s Jaiviki Biofertilizer

Bihar Unit 1, Reg. Office:- Triveni Vihar,

Chhapra Megh (Hatt) Mushhari,

Muzaffarpur (Bihar)

Sd/-  
Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Memo No... 211

/Agri., Patna, Dated 19/03/2019

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

3  
18.03.19  
Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

(33)

**कृषि निदेशालय, बिहार, पटना**  
**उर्वरक प्रशाखा**

पत्र संख्या- 15/उ0/बायो0 अनु0- 18/2018

/क०, पटना, दिनांक

2019

**कार्यालय आदेश**

मे0 जैविकी बायो फर्टिलाइजर, मुजफ्फरपुर के विपणन प्राधिकार पत्र संख्या 134 दिनांक 19/03/2019 वैधता तिथि 18/03/2022 को निर्गत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक : 19/03/ 2019

ज्ञापांक : 212

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक (राज्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरक का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3  
18.03.19

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।